न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 44/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/118

उनवान

1. सोबरन सिंह पुत्र माधो सिंह कौम बघेला आयु करीबन 56 वर्ष निवासी वार्ड नं0 23 दूलैया का घेर राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हाकिम सिंह पुत्र राम सिंह कौम बघेला निवासी वार्ड नं 23 दूलैया का घेर राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. पुरूषोत्तम पुत्र माधो सिंह कौम बघेला निवासी वार्ड नं 23 दूलैया का घेर राजाखेडा।
3. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत भू स्वामी।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दिनांक 23.12.2019 प्र.संख्या 82/18 उनवानी हाकिम सिंह बनाम सोबरन सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री अश्वनी जैन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अमित उपाध्याय उपस्थित।

निर्णय दिनांक–14.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मेंहदवार नं 02 कस्बा राजाखेडा में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः हम पक्षकारो में आये दिन फसल को लेकर झगडा होता रहता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद,

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
धौलपुर

वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तलव करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई/आपत्ति का अवसर नहीं दिया एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाये गये हैं। लिहाजा विभाजन प्रस्तावो में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। विभाजन रैस्पो0 से साज कर तहसील पर ही बैठकर तैयार किये गये हैं। अपीलाण्ट की पुख्ता बाउण्ड्री विवादित आराजी खसरा नम्बर 3842, 3843, 3844 में 74 वाई 60 पर हो रही है, जो करीबन 4 फुट ऊँची है एवं खसरा नम्बर 3868 में हाकिम सिंह का पुख्ता निर्माण हो रहा है कथित निर्माणो को विभाजन प्रस्ताव में कही अंकित नहीं किया गया है। विवादित आराजी में ज्यादा से ज्यादा टुकडे बना दिये गये हैं, जो कि नियम के खिलाफ हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में कब्जे को ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं। अपीलाण्ट ने केवल तकनीकी आपत्तियॉ की गयी है। यह नहीं बताया कि वह विभाजन प्रस्तावो से किस प्रकार असंतुष्ट है अथवा विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार से गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में स्पष्ट अंकित है कि उभयपक्ष ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किये जाने की सहमति प्रकट गयी। उक्त तथ्य को तब तक गलत नहीं ठहराया जा सकता जब तक अपीलाण्ट इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से गलत सिद्ध नहीं कर देते। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा नम्बर 3842, 3843, 3844, 3868 पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 का निर्माण यथा बाउण्ड्री वाल, मकानात बने हुये हैं। विभाजन प्रस्तावो एवं नजरी नक्शा से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौनसा हिस्सा अपीलाण्ट को दिया गया है एवं कौनसा हिस्सा रैस्पो0 को दिया गया है। अतः उभयपक्ष में इस तथ्य को लेकर झगडा है। यदि उक्त खसरा नम्बरान की मौके पर पैमाईश होकर कब्जा दिला दिया जाये तो उभयपक्षकारान के मध्य झगडा समाप्त हो जावेगा।

6. रैस्पो0 के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये कि नजरी नक्शा में दिशाये खोली गयी हैं एवं जिस पक्षकार का जहॉ कब्जा है उसे वह ही आराजी दी गयी है। परन्तु फिर भी यदि पैमाईश से स्थिति स्पष्ट कराना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभर कर आया है कि अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 के आराजी खसरा नम्बर 3842, 3843, 3844, 3868 में पुख्ता बाउण्ड्री वाल, मकानात आदि बने हुये हैं। वैसे तो विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा में उक्त आराजी के विभाजन पश्चात् दिशाये खोली गयी हैं। परन्तु पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के होने के कारण प्रथम दृष्टया उक्त आराजी के विभाजन/दिशाओ से अनभिज्ञ होने के कारण विवाद है। लिहाजा हम न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ खसरा नम्बर 3842, 3843, 3844, 3868 बाबत् विभाजन प्रस्तावो की उभयपक्ष की उपस्थिति में पैमाईश कराते हुये, उभयपक्षकारान के कब्जे एवं विभाजनुसार लोक अदालत की भावना से समझाईश कर उनके समक्ष स्थिति स्पष्ट करें, शेष निर्णय यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.08.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर